जेपीडी–6/349

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (लेखा,कर एवं राजस्व)

क:जे.पी.डी./मु.ले.अ(ले.क.रा.)/राजस्व/पत्रा.165(II)/प्रे. 1076 जयपुर, दिनांक: 8-5-2012

आदेश

टेरिफ प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित धरेलू उपभोक्ताओ के उर्जा प्रभार की दरों में 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान रहा है। यह छूट उन्ही उपभोक्ताओ को देय है जिन्हे निरन्तर विधुत आपूर्ति नही की जा रही है परन्तु निरन्तर विधुत आपूर्ति किये जाने की अवस्था मे यह छूट देय नही है।

कतिपय माध्यमो द्वारा निगम के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय उपखण्डो द्वारा उपरोक्त छूट उन ग्रामीण क्षेत्रो के धरेलू उपभोक्ताओ को भी दी जा रही है जहां निरन्तर विधुत आपूर्ति की जा रही है एवं यह छूट देय नही है।

अतः सभी अधीनस्थ अधिकारियो को यह आंदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में आदेश संख्या 1994 दिनांक 24.07.2001(JPD-6/19) द्वारा जारी निर्धारित टेरिफ यथा 1500, 1510, या 1511 का उपयोग कर सम्बन्धित उपभोक्तओ के टेरिफ कोड. परिवर्तन हेतु वांछित सूचना इनपुट एडवाईज MF-2A में भरकर बिलिंग एजेन्सी को भिजावाना सुनिश्चित करे अन्यथा निगम को हुयी वित्तीय हानि के लिए उन्हे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा एवं तद्नुसार उनके विरूद्व अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(कुंजीलाल मीणा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(ज.वि.वि.नि.लि.)

प्रतिलिपी वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
2 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3 अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,... ।
4 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,..................... ।
5 मैसर्स बीसीआईटीएस, खंडेला हाऊस, बी. 20, प्रथम तल, शिव मार्ग बनीपार्क,/ मैसर्स डाटा इंफोसिस, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर ।

मुख्य लेखाधिकारी
(लेखा,कर एवं राजस्व)